न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 441/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती पुरूषोतम देवी पत्नी नन्दलाल शर्मा के कायमु मुकाम– 1. मनमोहन शर्मा पुत्र स्व. श्रीमती पुरूषोतम देवी एवं नन्दलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी– एस–1149, आशियाना अमर बाग, कुडी भगतासनी, पाली रोड, जोधपुर। 2. किशनलाल पुत्र स्व. श्रीमती पुरूषोतम देवी एवं नन्दलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी– पंडित जी का कुंआ, भादू मार्केट के पास, पाल रोड, जोधपुर। 3. श्रीमती शोभा व्यास पुत्री स्व. श्रीमती पुरूषोतम देवी एवं नन्दलाल पत्नी श्री वल्लभ व्यास, जाति ब्राहम्ण, निवासी– 23/299, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पाल रोड, जोधपुर।		1. केतनशर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा के कायम मुकाम– 1. श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी केतनशर्मा 2. सनिध्य शर्मा पुत्र केतनशर्मा जरिये कुदरती वली माता अनिताशर्मा 3. श्रीमती उमा शर्मा पत्नी किशनलाल शर्मा (माता) निवासीगण– डी–63, शास्त्री नगर, जोधपुर। 2. धमेन्द्र शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा निवासीगण– डी–63, शास्त्री नगर, जोधपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2021 जो तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 10/2021 अनवान केतनशर्मा वगैराह बनाम राज्य सरकार में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09 दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 10/2021 अनवान केतन शर्मा वगैराह बनाम राज्य सरकार वगैराह में पारित आदेश 06.10.2021 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीनी के पति श्री नन्दलाल शर्मा की स्वअर्जित भूमि कृषि ग्राम पाल के ख0सं0 206 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है।

श्री नन्दलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा अपने पुत्रो मनमोहन व किशनलाल तथा पुत्री शोभा की जानकारी में निष्पादित कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.01.2020 को नन्दलाल शर्मा का देहान्त हो गया। तब अपीलार्थी के द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वसीसतनामें अनुसार अपने हक में नामा0 पारित किये जाने हेतु तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर आम सूचना दैनिक समचार में प्रकाशन करवाया गया तब रेस्पो0 संख्या एक केतनशर्मा व रेस्पो0 संख्या 2 धमेन्द्र द्वारा आपत्तियां भी पेश की गई। उक्त आपत्तियों में धमेन्द्रशर्मा द्वारा केवल मात्र श्री नन्दलाल शर्मा की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं होने के आधार पर वसीयतनामें को चुनौती दी गई तथा दिनांक 22.3.2021 तक अपने हक में श्री नन्दलाल शर्मा के द्वारा कोई अन्तरण विलेख निष्पादित किये जाने का कथन तक नहीं किया गया, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के बाध्यकारी सिद्धान्तों के विरूद्ध जाते हुए अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने एक अपील न्यायालय के समक्ष 260/2021 पेश कर रखी है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो अपीलार्थी के पुत्र किशनलाल के पुत्र है जो आपराधिक प्रवृति के है तथा अनेक थानों में प्रकरण विचाराधीन है। अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने के पश्चात प्रत्यर्थीगण ने षडयन्त्रपूर्वक मृतक नन्दलाल शर्मा की कूटरचित वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर अपने हक में नामा0 पारित करने हेतु आवेदन पेश किया जिसकी सूचना होने पर अपीलार्थीनी ने आपत्ति दिनांक 27.09.2021 को पेश की। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए केतनशर्मा व धमेन्द्रशर्मा के नाम वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का दिनांक 06.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी 22.10.2021 को अपीलार्थीया को हुई तत्पश्चात प्रमाणित प्रतियॉ लेकर यह अपील पेश न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पोषनीय नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर अपीलार्थीनी खातेदार काश्तकार के काबिज है, रेस्पोडेन्टस का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है और अपीलार्थी ने अपने उपनाम पुष्पा के नाम से विधुत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित कूटरचित वसीयतनामा पेश किया गया जिसे जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष चुनौती पेश की जा चुकी है जिसमें वसीयत की सत्यता व वैधानिकता का निस्तारण होना शेष है,

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए वसीयत को सही होना मानते हुए तथा एकतरफा रूख अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा आपत्ति पेश करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि दो भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही मृतक की दो वसीयत के आधार पर अपने हक व अधिकार क्लेम कर रहे है ऐसे में जब तक दीवानी न्यायालय से वसीयत की वैधानिकता का निस्तारण नहीं हो जाता, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित नहीं करना चाहिये परन्तु पीठासीन अधिकारी ने साठ–गांठ करते हुए गलत तथ्य अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। पीठासीन अधिकारी ने अपने स्थानान्तरण के पश्चात भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त वसीयतनामा तथाकथित कूटरचित बनाया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वर्ष 2017 में नन्दलाल शर्मा 90 वर्ष के थे जिनके द्वारा अपना जीवन अधिकांश घर पर ही व्यतित किया, वे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे कि उनके द्वारा स्वयं किसी प्रकार का कोई स्टाम्प आदि खरीद कर सकते थे, वसीयतनामा के स्टाम्प को उनके द्वारा खरीद करना बताया है ऐसे में दस्तावेज का कूट रचित होना सिद्ध करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता व वादग्रस्त भूमि की मौके व कब्जे की जॉच नहीं की गई, पीठासीन अधिकारी स्वय राजस्व अभियान में व्यस्त होते हुए भी साजीशी रूप से आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्तां ने लिखित बहस पेश करते हुए यह कथन किया कि राजस्व ग्राम पाल के ख0सं0 206 रकबा 16.13 बीघा कृषि भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि नन्दलाल शर्मा पुत्र जुगलकिशोर ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से मुकनसिंह, तख्तसिंह, अशोक, जीतूसिंह पिसरान अमरसिंह से खरीद की थी जिसका पंजीयन दिनांक 8.12. 1978 को हुआ। नन्दलाल ने अपने जीवकाल में उक्त भूमि में से 4 बीघा भारतीय भंसाली समाज सेवा ट्रस्ट को बेचान कर दी तथा शेष 16.18 बीघा भूमि रही। एक अन्य सम्पति रहवासीय मकान डी–63 शास्त्रीनगर श्री नन्दलाल शर्मा की थी। श्री नन्दलाल शर्मा ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत उक्त दोनों सम्पतियों की अपने पोते केतनशर्मा व धमेन्द्र शर्मा के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 14.02.2017 को निष्पादित की थी। उक्त दोनो सम्पतियों का कब्जा भी स्वर्गवास होने से पूर्व सुपुर्द कर दिया था जो आज दिनांक तक लगातार मकान में रहवास कर रहे है व उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नन्दलाल का दिनांक 16.01.2020 को देहान्त हो गया है। श्री नन्दलाल की वृद्धावस्था होने तथा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण नन्दलाल को अस्पताल में दिनांक 22.12.2019 को भर्ती करवाया गया तथा दिनांक 16.01.2020 को मृत्यु हो गई। तब रेस्पोडेन्टस के द्वारा श्री नन्दलाल के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 14.02.2017 के आधार पर तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नामा0 दर्ज करने का निवेदन किया तब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज कर वसीयत के गवाह गजेन्द्र दाधीच व राजेन्द्र आसोपा के बयान कलमबद्धकिये व अखबार में विज्ञप्ति जारी की गई। तब अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 2.9.2021 को अपनी आपत्ति पेश की गई और पुरूषोतम देवी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया जिसमें सिविल दावा विचाराधीन होने के दस्तावेज पेश किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद दिनांक 6.10.2021 को निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार जोध्पुर ने वसीयतनामा नन्दलाल के स्वयं द्वारा खरीदी गई सम्म्पति गवाहों के बयान, पटवारी रिपोर्ट, अखबार में विज्ञप्ति तथा पुरूषोतम देवी के आपत्तियों का अवलोकन करने के उपरान्त वसीयत को सही मानते हुए धारा 135(2) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पुरूषोतम देवी की आपत्ति को खारिज कर दिया। अपीलार्थीया ने एक फर्जी वसीयत दिनांक 15.01.2020 को तैयार करवाई जो ग्राम पाल के ख0सं0 206 रकबा 20.18 बीघा की वसीयत थी लेकिन दिनांक 15.01.2020 को नन्दलाल वसीयत करने की स्थिति में नहीं थे और न ही सुन–बोल सकते थे, बहोशी की स्थिति में थे एवं अस्पताल में भर्ती थे, ऐसे में नन्दलाल वसीयत करने की स्थिति में ही नहीं थे। पुरूषोतम देवी के द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आवेदन पेश किया था तब अधीनस्थ न्यायालय ने अखबार में विज्ञप्ति जारी की तथा पटवारी से रिपोर्ट तलब की एवं गवाह किशनलाल व मनमोहनलाल शर्मा के बयान दर्ज किये व धमेन्द्रशर्मा के द्वारा आपत्ति पेश की गई तथा अस्पताल में भर्ती नन्दलाल के मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार जोधपुर ने पत्रावली का अवलोकन किया। जबकि उक्त वसीयत फर्जी रूप से तैयार की गई थी क्योंकि दिनांक 22.12.19 से 16.01.2020 तक नन्दलाल शर्मा महात्मा गॉधी अस्पताल में भर्ती थे तो वसीयत कैसे बन सकती थी। तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण में फर्जी वसीयत मानकर पुरूषोतम देवी के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि एक दीवानी दावा जिला न्यायाधीश महानगर न्यायालय में अनवान केतनशर्मा बनाम पुरूषोतम देवी विचाराधीन है जिसमें पुरूषोतम देवी अपने हक-अधिकार तय करवा सकती है। सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है एवं अपीलार्थी को पाबन्द किया गया है कि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जावें। अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल मिसिलियस संख्या 1041/2022 पेश की थी जो दिनांक 20.102.2022 को खारिज कर दी गई। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, उत्तर जोधपुर में भरण पोषण के प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया था जिसका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी रिट संख्या 12479/2022 केतनशर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी लूणी पेश की थी जिसमें दिनांक 29.9.2022 से स्थगन आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने योग्य है अतः रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश लिखित बहस अनुसार अपील को खारिज फरमाया जावे एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2021 अनवान केतनशर्मा बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 6.102.2021 को यथावत रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थीया के द्वारा तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी ने मुख्य रूप से अपील में यह कथन किया है कि रेस्पोडेन्टस के पक्ष में श्री नन्दलाल शर्मा के द्वारा जो वसीयत दिनांक 14.02.2017 को निष्पादित की गई है वह कूटरचित व फर्जी है। अपीलार्थीया के द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत धारा 135 (2) प्रकरण के विचारण के दौरान अपनी आपत्ति पेश कर उक्त वसीयतनामें को अपीलार्थीया के द्वारा जिला न्यायालय जोधपुर के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है, ऐसे में वसीयत की वैधानिकता का निस्तारण होना शेष है। ऐसे में तहसीलदार जोधपुर को चाहिये था कि रेस्पोडेन्ट की ओर पेश प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व अनरजिस्टर्ड निष्पादित वसीयत की वैधानिकता तय होने देते एवं पक्षकारान के मध्य हक-अधिकार तय हो जाने देते तब तक किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं करते।

इसके अतिरिक्त इन्हीं अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वसीयतनामें को इन्ही पीठासीन अधिकारी के द्वारा आदेश पारित

कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए प्रकरण में अपीलार्थीया के पक्ष में हुई वसीयत को सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निश्कर्ष दिया है। मृतक श्री नन्दलाल शर्मा के परिवार में पुत्रों के रूप में मनमोहन शर्मा, किशनलाल शर्मा तथा शोभा व्यास एवं उनकी पत्नि सदस्य रहे है तो ऐसे में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जो कि नन्दलाल शर्मा के पुत्र श्री किशनलाल शर्मा के पुत्र यानि नन्दलाल शर्मा के पौत्र है तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि श्री नन्दलाल शर्मा की वादग्रस्त भूमि बाबत श्री नन्दलाल के सभी विधिक वारिसानों को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रस्तुत वसीयत प्रकरण में यथोचित निर्णय पारित करते। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन व विश्लेषण के आधार पर हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि के मृतक खातेदार श्री नन्दलाल शर्मा के सभी विधिक वारिसान की विधि अनुसार जॉच करने उन्हें सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 को निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के मृतक खातेदार श्री नन्दलाल शर्मा के सभी विधिक वारिसान की विधि अनुसार जॉच करने उन्हें सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

09.12.24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर